उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, रामनगर (नैनीताल)

सहजन प्रकाष्ठ के विक्रय हेतु अग्रिम निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी से पूर्वी लौगिंग प्रभाग कालाढुँगी को प्राप्त आवंटित लौट संख्या 25,93 एंव 218/18–19 (सहजन प्रजाति) की बिकी हेतु दिनांक 28–02–2019 को अपरान्ह 2:00 बजे तक अग्रिम निविदा प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा रामनगर के कार्यालय में आंमन्त्रित की जाती है. जो उसी दिन 3:00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्ध (प0क्षे0) रामनगर द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्ते,फार्म, किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा रामनगर से निशुल्क प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्ते वन विकास निगम की विक्रय सूची वैवसाइट website:uafdc.in पर भी देखी जा सकती है।

निविदा में रखी गयी मात्रा निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	लौट संख्या/ वर्ष	अनुमानित उत्पादन की मात्रा घ0मी0		
		प्रकाष्ठ	जलौनी	जड़
01	25/2018–19	1500	350	900
02	93/2018–19	125	50	75
03	218/2018–19	50	10	25

सहजन प्रकाष्ठ की बिकी हेतु अग्रिम निविदा शर्ते

1–सहजन की मात्रा उपरोक्तानुसार अंकित की गयी है, परन्तु यह आपूर्ति उपलब्धता के आधार पर की जायेगी एवं कतिपय कारणों से सहजन प्रकाष्ठ की उपलब्ध मात्रा में कमी के कारण क्रेता को अवशेष मात्रा की आपूर्ति किये जाने के लिए वन विकास निगम बाध्य नहीं होगा।

2–निविदा 50 घ0मी0 के गुणांकों में दर रुपया प्रति घ0मी0 एंव क्रय की जाने वाली मात्रा के अनुरूप की निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

3–बन्धक धनराषि का भुगतानः–

(क) आवेदित/प्रस्तावित मात्रा के मूल्य–मात्रा X प्रस्तावित दर = क्रय मूल्य का 2.36 % की दर से बन्धक धनराशि निविदा के साथ जमा करनी होगी।

(ख) निविदादाता को सहजन प्रकाष्ठ की कुल क्रय मात्रा के पूरे मूल्य का प्रकाष्ठ 2.36, जड़ 2.10, जलौनी 2.00 नेक जमानत के रूप बैंक ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम जो रामनगर शाखा में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। अर्नेस्टमनी कम होने या न होने पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रभाग के अधीन किसी भी डिपो में सम्बन्धित निविदादाता के क्रेडिट धनराशि की सम्बन्धित डिपो अधिकारी/डिपो लेखाकार द्वारा जारी की गई क्रेडिट एडवाइज जो निविदा के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है।

4–निविदा प्राप्त होना–

(क) निविदाऐं रजिस्टर्ड/कोरियर डाक द्वारा ही प्राप्त की जायेंगी।

(ख) निविदा का खोला जाना–दिनांक 28–02–2019 के अपरान्ह 2 बजे तक प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, आमडण्डा रामनगर स्थित कार्यालय में प्राप्त निविदाऐं क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) रामनगर द्वारा गठित समिति द्वारा उसी दिन 3 बजे उक्त कार्यालय में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

5–प्रकाष्ठ की गुण श्रेणी–सहजन प्रकाष्ठ उत्पादन वर्ष 18–19 के आवंटन का है। प्रकाष्ठ के वर्गीकरण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम में प्रचलित मानकों के आधार पर किया जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर–

Scanned by CamScanner

6–निविदा स्वीकार किय जाना–सामान्यतः उच्चतम निविदा मूल्य के आधार पर निविदा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, परन्तु उत्तराखण्ड वन विकास निगम उच्चतम/अन्य किसी दर/मूल्य को स्वीकार के लिय बाध्य नहीं होगा। अतः किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है।

7–लौटों में प्रस्तावित/आवेदित दर/मूल्य की स्वीकृति एवं निकासी के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्रेता को पंजीकृत डाक द्वारा निविदा अनुमोदन की सूचना डिपो स्तर से प्रेषित की जायेगी। समस्त स्वीकृत निविदाओं का विवरण सम्बन्धित डिपो के सूचनापट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

8–निविदा के लिफाफे के बाहर "**सहजन प्रकाष्ठ बिक्री हेतु अग्रिम निविदा सूचना**" अवश्य लिखा जाना चाहिए।

9– प्राप्त दर कम प्रतीत होने पर मूल्य में वृद्धि करने के लिये नेगोसियेषन भी किया जा सकता है।

10–निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को स्वीकृत सूचना प्रेषित होने के 07 दिन के भीतर 9.44 % जमानत धनराषि के रूप में जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा के साथ जमा 2.36 % तक की बन्धक धनराषि जब्त कर ली जायेगी। उक्त जमानत एवं बन्धक धनराशि का समायोजन निगम के वर्तमान में प्रचलित एवं लागू विक्रय नियमों के तहत् अन्तिम निकासी में किया जायेगा।

11–अतिरिक्त शर्तें–

11.1–प्रकाष्ठ निकासी हेतु मात्रा एवं दर स्वीकृत होने के पश्चात् प्रकाष्ठ की उपलब्धतानुसार लौटों की सूचना डिपो अधिकारी द्वारा सफल निविदादाता को पंजीकृत डाक या अन्य माध्यम से सूचित किया जायेगा। इसी तिथि से दिनों की गणना की जायेगी।

11.2–नकद छूट लौट आदि की गणना के लिए डिपो अधिकारी द्वारा प्रकाष्ठ की सूचना का प्रेषण किये जाने की तिथि से की जायेगी।

11.3–समस्त प्रकाष्ठ की निकासी सम्बन्धित डिपो अधिकारी के माध्यम से उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्तमान में प्रचलित व लागू विक्रय नियमों के तहत्/अनुसार की जायेगी।

11.4–निनविदादाताओं के साथ उपरोक्त विक्रय के क्रियान्वयन सम्बन्धित विवादों में क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर आर्बीट्रैटर होगें जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/स्वीाकर होगा।

(जे0पी0भट्ट)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।

दूरभाष/फैक्स नं0–05947-251233, ई–मेलः dmm.ram_nagar@yahoo.com

01–निविदा प्रपत्र सहजन प्रकाष्ठ हेतु

निविदा फार्म संख्याः–

निविदा द्वारा क्रय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण

उत्पादन वर्ष 2018–19

क्र0 सं0	लौट संख्या	अनुमानित उत्पादन की मात्रा घ0मी0	निविदा दरें प्रति घ0मी0 अंको एंव शब्दों	देय जमानत राशि	कुल योग रू0 में
01	25/18-19	प्रकाष्ठ –1500		2.36	
		जड़ – 900		2.10	
		जलौनी – 350		2.00	
02	93/18-19	प्रकाष्ठ – 125		2.36	
		जड़ – 75		2.10	
		जलौनी – 50		2.00	
03	218/18-19	प्रकाष्ठ – 50		2.36	
		जड़ – 25		2.10	
		जलौनी – 10		2.00	

नोटः– दरें क्रमवार अलग–अलग देने का कष्ट करें।

02– जमानत का पूरा विवरण ड्राफ्ट संख्याः–.. दिनांक ....

बैंक का नामः–...

(रू0 अंको में शब्दों में)..

मैने/हमनें इस कार्यालय की पत्र संख्याः–........................../दिनांक ....द्वारा जारी संलग्न नियमों को भलि–भॉति पढ/समझ लिया है एवं उनसे सहमति व्यक्त करते हुए समस्त नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते है।

दिनांक :–.....................................

हस्ताक्षर निविदादाता...

निविदादाता का पूरा नामः–..

निविदादाता का पूरा पता/फोन/फैक्स न0 सहितः–...

....

(कम्पनी के प्रकरण में प्रतिनिधारण का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

कार्यालय प्रयोगार्थ

निविदा खोलने वाले के हस्ताक्षर

निविदा मेरे सामने खोली गई

Scanned by CamScanner